



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1401 / अका. / सम्बद्धता / 2021

रायपुर, दिनांक : 06 / 02 / 2021

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2021 के अनुमोदनानुसार, इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020-21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.ए. प्रथम वर्ष (नवीन विषय) (आ.पा., इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र)	40 सीट	2020-2021
2	पी.जी.डी.सी.ए. (सीटवृद्धि)(पूर्व सीट संख्या 30)	10 सीट	

शर्त :-

01. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 17-79/2020/38-2, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27.08.2020 के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम एवं सीटवृद्धि की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
06. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
10. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
11. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की संबद्धता हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक आवेदन प्रस्तुत करें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

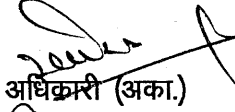
(हस्ताक्षर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

1402
पृ. क्रमांक / अका. / सम्बद्धता / 2021
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 06/02/2021

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- 03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- 04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- 05 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- 06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- 07 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ


कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक 967/अका. /संबद्धता /2020, रायपुर दिनांक 28/12/2020

निरीक्षण की तिथि 02.01.2021

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
बी-25 प्रथम वर्ष	अ.पाठ्य, इतिहास समाज, राज.	40	2020-21	
बी-जी.डी.सी. ए. (सी.ई.) एडि	समाज विज्ञान प्रश्न 43	10	2020-21	प्रतिपादनी

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	पंजीयन 26 जून 1996 पंजीयन क्र. 3267
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	1 एकड़, जिसके मालिक संचालित हैं। 4.5 एकड़ मालिक से 21km दूरी पर हैं।
3.	इडोमेंट फंड में जमा की गई राशि	1(v)	10 + 10 + 2 लाख = 22 लाख
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	श्री आर.के. चंडाकर (अध्यक्ष) 85 फरवरी 2023 तक
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	है
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	है
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	N.A.
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	N.A.
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु विषयवार 01-01 शिक्षक तदर्थ रूप में कार्यरत हैं। परी नियम 28 के तहत नियुक्ति की जा आवश्यक है।

Signature

Signature

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	ग्रंथपाल तदर्थ नियुक्ति पर है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु 350 फुल्लिके (LIBA) तथा 1040 CA हेतु 250 फुल्लिके उपलब्ध है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	आप्यारमृत सुविधा स्मार्ट Clay 800m सहित उपलब्ध है।
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?		N.A.
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालयीय नहीं है लेकिन आप्यारमृत सुविधा बेहतर है। NCS, स्मार्ट गाइड इकाई है।
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु सेक्शन 28 के तहत नियुक्ति उद्दिष्ट पूर्ण कराया जा रहा है - चाकिट।

निरीक्षण समिति के
संयोजक का नाम एवं
हस्ताक्षर

Dr. L.S. Guptha

दिनांक 02.07.2024

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. Dr. Madhulata Barua

2.

3.

4.

...

...

...

02/07/2024